राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3, महात्मा गांधी नरेगा) शासन सचिवालय, जयपुर

क्रमांकः–एफ 10(6)ग्रावि / नरेगा / जेटीए / 2010 जयपुर, दिनांक :

03 OCT 2016

जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस
एवं जिला कलक्टर,
जिला समस्त राजस्थान

विषयः– महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत संविदा पर कनिष्ठ तकनीकी सहायक के रिक्त पदों को भरने के क्रम में

संदर्भः– विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 07.09.2016 एवं 27.09.2016

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एंव प्रबन्धन साथ ही कार्यो की गुणवत्ता बनाये रखने हेतु वित्त विभाग के आदेश दिनांक 29.04.2011 एवं 17.06.2011 द्वारा संविदा नियुक्ति पर प्रतिबन्ध में शिथिलता प्रदान करते हुये 550 कनिष्ठ तकनीकी सहायक के पदों को संविदा पर भरने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। विभाग को प्राप्त सूचना के अनुसार आदिनांक तक अधिकांश जिलों द्वारा विज्ञप्ति जारी कर कनिष्ठ तकनीकी सहायकों को संविदा पर लिये जाने की कार्यवाही नहीं की गई है।

अतः इस सम्बन्ध में विभागीय निर्देशों के अनुसार तत्काल कार्यवाही कर अनुपालना रिपोर्ट विभाग को शीघ्र भिजवाने का श्रम करें।

भवदीय

30/9/16

(राजीव सिंह ठाकुर)
शासन सचिव ग्रामीण विकास

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास।
3. निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा।
4. अतिरिक्त आयुक्त प्रथम, ईजीएस
5. अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद समस्त राजस्थान।
6. अधिशाषी अभियन्ता, ईजीएस, जिला परिषद समस्त राजस्थान।

/ अतिरिक्त आयुक्त प्रथम, ईजीएस